REGISTERED No. D.L.-33002/99



EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] No. 87] दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2006/ज्येष्ठ 5, 1928 DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2006/JYAISTHA 5, 1928

[रा.रा.श. हि. सं. 45 [N.C.T.D. No. 45

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 मई, 2006

सं. फा. 19(22)/परि./सचि./2006/197.-जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के उप-खण्ड (2) के परन्तुक द्वारा यथापेक्षित निदेशों का प्रारूप इस सरकार की अधिसूचना संख्या फा. पीएल/जेसीवी/ओपीएस/परि/1613/05/1447 दिनांक 5-1-2006 को दिल्ली राजपत्र (असाधारण) भाग-IV में प्रकाशित किया गया था जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के पश्चात् इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गये थे।

और जबकि उक्त राजपत्र जनसाधारण को 5 जनवरी, 2006 को उपलब्ध कराया गया था।

और जबकि उक्त प्रारूप निदेशों के संबंध में प्राप्त सभी आपत्तियों एवं सुझावों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने विचार कर लिया है।

अब, इसलिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खण्ड (41) के साथ पठित धारा 67 की उपधारा (1) के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली तथा दिल्ली के पंजीकरण प्राधिकारियों, दोनों को निम्नलिखित निदेश जारी करते हैं, अर्थात् :--

निदेश

- 1 जुलाई, 2006 से 3000 कि.ग्रा. तक का कुल भार वाले माल वाहन तथा 3000 कि.ग्रा. तथा 7500 कि.ग्रा. के बीच कुल भार रखने वाले माल वाहन जो गुड्स कैरिज परमिट (राष्ट्रीय परमिट पर चलने वाले वाहनों को छोड़कर) पर चल रहे हैं, यदि स्वच्छ ईंधन के अलावा दूसरे ईंधन पर चल रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत नहीं किया जायेगा।
- 2. इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से ऐसे गुड्स कैरिज जिनका कुल वाहन भार 3000 कि.ग्रा. तक है, राष्ट्रीय राज-धानी क्षेत्र दिल्ली से बाहर पंजीकृत हैं उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चलाने की अनुमति नहीं होगी।
- 3. इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से ऐसे गुड्स कैरिज जिनका कुल वाहन वजन 3000 कि.ग्रा. तथा 7500 कि.ग्रा. के बीच है, दिल्ली से बाहर पंजीकृत हैं तथा स्वच्छ ईंधन के अलावा अन्य ईंधन पर चल रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में (वैध राष्ट्रीय परमिट के अन्तर्गत के अलावा)

1621 DG/2006

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 90 के उप-नियम (7) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर दो स्थानों पर सामान लादने या उतारने की अनुमति नहीं होगी।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विजय एस. मदान, सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th May, 2006

No. F. 19(22)/Tpt./Sectt./2006/197.—Whereas the draft of the directions was published as required by the proviso to sub-clause (ii) of clause (d) of Sub-section (1) of Section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) in the Delhi Gazette-Extraordinary, Part IV on the 5th January, 2006 vide this Government's notification Number F. PA/ ICV/OPS/Tpt./1613/05/1447 inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected, thereby till after thirty days from the date of the publication of the said notification in the Delhi Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 5th January, 2006;

And whereas all objections and suggestions received with regard to the said draft directions have been duly considered by the Government of the National Capital Territory of Delhi.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of Sub-section (1) of Section 67 read with clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby issues the following directions, both to the State Transport Authority, Delhi and the registering authorities of Delhi, namely :---

DIRECTIONS

- With effect from the 1st July, 2006, goods carriages having gross vehicle weight up to three thousand kilograms and goods carriages having gross vehicle weight between three thousand kilograms and seven thousand five hundred kilograms plying on goods carriage permit except vehicle plying on National Permit, running on fuel other than clean fuel, shall not be registered in the National Capital Territory of Delhi.
- From the date of publication of this notification, goods carriages having gross vehicle weight up to three thousand kilograms, registered outside the National Capital Territory of Delhi shall not be permitted to ply in National Capital Territory of Delhi.
- 3. From the date of publication of this notification, goods carriages having gross vehicle weight

between three thousand kilograms and seven thousand five hundred kilograms, registered outside Delhi and running on a fuel other than clean fuel, shall not be permitted to ply in the National Capital Territory of Delhi except under a valid National Permit and, in any case, shall not be permitted to pick up or set down goods between two points within the National Capital Territory of Delhi in accordance with the provisions of sub-rule (7) of rule 90 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989.

> By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

VIJAY S. MADAN, Secy.-Cum-Commissioner (Tpt.)

गृह (पुलिस-II) विभाग

कार्यालय उपायुक्त पुलिस यातायात : दिल्ली

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 26 मई, 2006

सं. फा. 20/4/2003/गृ.पु.-II/3429.-क्योंकि डिफेंस कॉलोनी फ्लाईऑवर के नीचे के क्षेत्र (क) डिफेंस कॉलोनी फ्लाईऑवर के नीचे, लाला लाजपत राय मार्ग की तरफ से आने वाले लूप रोड पर (ख) डिफेंस कॉलोनी फ्लाईऑवर के नीचे से लाजपत नगर-II की तरफ जाने वाली सड़क पर (ग) डिफेंस कॉलोनी फ्लाईऑवर के उत्तरी दिशा की तरफ वाले स्लीप रोड (सीलवर ऑक रोड) पर अवैध रूप से वाहनों के खड़े होने के कारण रोड पर भीड़-भाड़ उत्पन्न हो रही है तथा इससे सड़क प्रयोगकर्ताओं को समस्या आ रही है। अत: यातायात की भीड़-भाड़ पर रोकथाम, सुगम प्रवाह और सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

और क्योंकि वाहनों के अवैध रूप से खड़े होने के कारण उत्पन्न होने वाली यातायात की भीड़-भाड़ की इस समस्या को रोकने के लिए और यातायात को सुचारू रूप से चलाने व सड़क के प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए डिफेंस कॉलोनी फ्लाईऑवर के नीचे के क्षेत्र (क) डिफेंस कॉलोनी फ्लाईऑवर के नीचे, लाला लाजपत राय मार्ग की तरफ से आने वाले लूप रोड पर (ख) डिफेंस कॉलोनी फ्लाईऑवर के नीचे से लाजपत नगर-II की तरफ जाने वाली सड़क पर (ग) डिफेंस कॉलोनी फ्लाईऑवर के उत्तरी दिशा की तरफ वाले स्लीप रोड (सीलवर ऑक रोड) पर अवैध रूप से वाहनों के खड़े होने पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है।

अत: मैं, एल. वी. प्रसाद, उपायुक्त पुलिस, यातायात (मुख्यालय) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 3(3) जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त हैं, का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा सभी प्रकार के वाहनों को डिफेंस कॉलोनी फ्लाई ऑवर के नीचे के क्षेत्र (क) डिफेंस कॉलोनी फ्लाईऑवर, लाला लाजपत राय मार्ग की तरफ से आने वाले लूप रोड पर (ख) डिफेंस कॉलोनी फ्लाईऑवर के नीचे से लाजपत नगर-11 की तरफ जाने वाली सड़क पर (ग) डिफेंस कॉलोनी फ्लाईऑवर के उत्तरी दिशा की तरफ वाले स्लीप रोड (सीलवर ऑक रोड) पर खडा करने व इन्तजार करने पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंधित करता हूँ (अधिकृत पार्किंग स्थलों को छोड़कर)।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों तथा तमाम थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी।

संबंधित अधिकरण एवं सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवं सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट (वाहन खड़ा करना व इन्तजार करना प्रतिबंधित है) संकेत को इंगित करते हुए लगाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 26-5-2006 को जारी किया गया।

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE : TRAFFIC

NOTIFICATIONS

Delhi, the 26th May, 2006

F. No. 20/4/2003/HP-II/3429.—Whereas it is necessary to ensure smooth flow of traffic, prevent congestion, safety of all road users and inconvenience to general public due to illegal parking of vehicles in the area covering under the Defence Colony flyover *i.e.* (i) Loop road coming from Lala Lajpat Rai Marg, under Defence Colony flyover (ii) Road leading from under Defence Colony flyover towards Lajpat Nagar-II (iii) Slip road on the Northern side of Defence Colony flyover (Silver Oak Road).

And, whereas, in view of the problem of traffic congestion due to illegal parking, it is necessary to control the illegal parking of vehicles in the area covering under the Defence Colony flyover *i.e.* (i) Loop road coming from Lala Lajpat Rai Marg, under Defence Colony flyover (ii) Road leading under Defence Colony flyover towards Lajpat Nagar-II (iii) Slip road on the Northern side of Defence Colony flyover (Silver Oak Road) for the convenience and safety of the road users.

Now, therefore, I, L.V. Prasad, Deputy Commissioner of Police, Traffic, Headquarters, Delhi in exercise of the powers, conferred upon me under regulation 3 (3) of Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Street Regulations, 1980 do hereby prohibit the parking of all type of vehicles for 24 hrs. of the day in the area eovering under the Defence Colony flyover *i.e.* (i) Loop road coming from Lala Lajpat Rai Marg, under Defence Colony flyover (ii) Road leading from under Defence Colony flyover towards Lajpat Nagar-II (iii) Slip road on the Northern side of Defence Colony flyover (Silver Oak Road) declare the area as "No Parking Zone" except authorized parking lost till further order. This order shall be published for the information of the general public in the Official Gazette and by affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/ New Delhi.

The concerned civic road agencies maintaing the roads/areas including Delhi Metro Rail Corporation shall erect the corresponding informatory signboards indicating the restrictions in the area for the guidance and convenience of all concerned.

This direction shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 26-5-2006.

सं. फा. 20/4/2003/गू.पू.-II/3430.-क्योंकि माण्डी रोड, महरौली गुड़गांव रोड से सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलेमैटिक्स तक, नई दिल्ली, पर अवैध रूप से वाहनों के खड़े होने के कारण रोड एर भीड़-भाड़ उत्पन्न हो रही है तथा इससे सड़क प्रयोगकर्ताओं को समस्या आ रही है। अत:, यातायात की भीड़-भाड़ पर रोकथाम, सुगम प्रवाह और सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

और, क्योंकि, वाहनों के अवैध रूप से खड़े होने के कारण उत्पन्न होने वाली यातायात की भीड़-भाड़ की इस समस्या को रोकने के लिए और यातायात को सुचारू रूप से चलाने व सड़क के प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए माण्डी रोड, महरौली गुट्गाँव रोट से सेंटर फॉर टेनलैंगमेंट ऑफ टेलेमैटिनस तक, नई दिल्ली, पर अवैध रूप से वाहनों के खड़े होने पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है।

अतः, मैं, एल. वी. प्रसाद, उपायुक्त पुलिस, यातायात (मुख्यालय) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 3(3) जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त हैं, का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा सभी प्रकार के वाहनों को माण्डी रोड, महरौली गुड़गाँव रोड से सेंटर फॉर डेवलैपमेंट ऑफ टेलेमैटिक्स तक, नई दिल्ली पर खड़ा करने व इन्तजार करने पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंधित करता हूं (अधिकृत पार्किंग स्थलों को छोडकर)।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों तथा तमाम थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी।

संबंधित अधिकरण एवं सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवं सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट (वाहन खड़ा करना व इन्तजार करना प्रतिबंधित है) संकेत को इंगित करते हुए लगाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 26-5-2006 को जारी किया गया।

एल. वी. प्रसाद, उपायुक्त पुलिस

F. No. 20/4/2003/HP-II/3430.—Whereas it is necessary to ensure smooth flow of traffic, prevent congestion, safety of all road users and inconvenience to general public due to illegal parking of vehicles on Mandi Road, from Mehrauli Gurgaon Road upto Centre for Development of Telematicks, New Delhi.

And whereas, in view of the problem of traffic congestion due to illegal parking, it is necessary to control the illegal parking of vehicles on Mandi Road, from Mehrauli Gurgaon Road upto Centre for Development of Telematicks, New Delhi for the convenience and safety of the road users.

Now, therefore, I, L.V. Prasad, Deputy Commissioner of Police, Traffic, Headquarters, Delhi in exercise of the powers, conferred upon me under regulation 3(3) of Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Street Regulations, 1980 do hereby prohibit the parking of all type of vehicles on Mandi Road, from Mehrauli Gurgaon Road upto Centre for Development of Telematicks, New Delhi and declare the road as "No Parking Zone" except authorized parking lost till further order.

This prohibitory order will apply through out the day *i.e.* 24 hours of everyday.

This order shall be published for the information of the general public in the Official Gazette and by affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi.

The concerned civic road agencies maintaing the roads/areas including Delhi Metro Rail Corporation shall erect the corresponding informatory signboards indicating the restrictions in the area for the guidance and convenience of all concerned.

This direction shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 26-5-2006.

L. V. PRASAD, Dy. Commissioner of Police

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 26 मई, 2006

सं. फा. 47/कोआप/16/पोलिसी/05(ii)/690-98.– दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 114 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार इसके द्वारा दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण का गठन करती है जिसमें एक अध्यक्ष और एक सदस्य होंगे जो उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत उक्त न्यायाधिकारण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्य का निर्वाहन करेंगे। दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम 1972 (जो 1 अप्रैल, 2005 से निरस्त है) के उपबंधों के अंतर्गत पहले ही दायर या दायर की जाने वाली अपीलों का भी निपटान करेगा।

COOPERATIVE DEPARTMENT NOTIFICATIONS

Delhi, the 26th May, 2006

F. No. 47/Coop/16/Policy/05/(ii)/690-98.—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 114 of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby constitutes the Delhi Co-operative Tribunal consisting of a Chairman and one member to exercise the powers and discharge the functions conferred on the said Tribunal by or under the said Act. The Delhi Cooperative Tribunal shall also dispose of the appeals already filed or yet to be filed under the provisions of the Delhi Co-operative Societies Act, 1972 (since repealed w.e.f. 1st April, 2005).

रूसं. फा. 47/कोआप/16/पोलिसी/05/699-707.- दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधि-नियम 3) की धारा 137 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :--

- (1) इन नियमों को दिल्ली सहकारिता न्यायाधिकरण नियमावली, 2006 कहा जा सकेगा।
- (2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगी।

2. परिभाषाएं :-

 जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इन नियमों में –

> (क) "अधिनियम" का अर्थ दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम 3 है),

> (ख) ''अध्यक्ष'' का अर्थ न्यायाधिकरण का अध्यक्ष है,

> (ग) "फार्म" का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न किसी फार्म से है,

> (घ) "सरकार" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं अनुच्छेद 239-एए कक के अंतर्गत यथा-पदनामित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल से है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में प्रदान किया गया है।

 न्यायाधिकरण का गठन :- दिल्ली सहकारी न्याया-धिकरण में एक अध्यक्ष होगा और दो से अधिक अन्य सदस्य नहीं होंगे जिनमें अध्यक्ष स्थायी होगा ।

 अध्यक्ष की योग्यताएं :-कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह-

- (क) जिला न्यायाधीश न हो या न रहा हो या जिला न्यायाधीश बनने के लिए योग्य न हो, या भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद या केन्द्रीय सरकार या सरकार के अंतर्गत किसी उस अन्य पद पर कम से कम दो वर्ष न रहा हो जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद के वेतनमान के कम से कम समकक्ष वेतनमान पा रहा है और अपीलीय स्तर के किसी अर्द्धन्यायिक प्राधिकारी के रूप में कम से कम दो वर्ष कार्य किया हो, और
- (ख) सरकार के अभिमंत से योग्य, ईमानदार तथा ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो और उसे अर्थशास्त्र विधि जन मामले प्रशासन राजस्व कानून आदि से संबंधित समस्याओं को निपटाने के लिए पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो।

5. प्रथम सदस्य की योग्यताएं :--प्रथम सदस्य को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह भारत सरकार में उप-सचिव के पद अयवा केन्द्रीय सरकार या सरकार के जंतर्गत किसी उस अन्य पद पर कम से कम पांच वर्ष न रहा हो, जो भारत सरकार में उप-सचिव के पद के वेतनमान से कम की न हो और किसी अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कम से कम दो वर्ष कार्य कर चुका हो या सहकारी समितियों के संयुक्त पंजीयक या उप-पंजीयक के पद पर दो वर्ष तक रहा हो।

6. दूसरे सदस्य की योग्यताएं :--न्यायाधिकरण का दूसरा सदस्य गैर सरकारी और सहकारिता आन्दोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा लेकिन शर्त यह है कि सदस्य के रूप में नियुक्ति के समय वह केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण किसी सहकारी समिति या किसी सहकारी समिति की कमेटी के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर नहीं हो या उसका भुगतान पाने वाला अधिकारी नहीं हो और न ही वह किसी शैक्षिक सहकारी समिति या फैडरल सोसायटी के अलावा किसी सहकारी समिति की कमेटी का सदस्य नहीं हो, जो पंजीयक के मत से कोई व्यापारिक संस्थान नहीं है या जो कम से कम दस वर्षों से एक एडवोकेट नहीं रहा है।

 अयोग्यता :--कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु अयोग्य होगा यदि वह-

- (क) सिद्ध दोषी रहा हो तथा उसे किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास की सजा मिली हो जो कि सरकार के विचार से नैतिक कदाचार के अंतर्गत आता हो, या
- (ख) अविमुक्त दिवालिया है, या

1621 196/06-2

- (ग) विश्विप्त मानसिक स्थिति का है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, या
- (घ) सरकारी सेवा या सरकार के स्वामित्व या सरकार द्वारा नियंत्रित होने वाले किसी निगमित निकाय की सेवा से निकाला गया हो या बर्खास्त किया गया हो, या
- (ङ) सरकार के विचार से उसके पास ऐसे वित्तीय या अन्य हित हैं जिससे न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, उसके कार्यों के निर्वहन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, या

(च) चिकित्सीय रूप से अयोग्य हो।

 अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर वर्तमान सेवा से सेवा निवृत्ति :-

- (1) अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य जो अध्यक्ष या सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख पर केन्द्र सरकार या एक राज्य सरकार या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सेवा में था वह ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त होगा तथा अध्यक्ष या सदस्य के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, केवल ऐसी सेवा में सेवानिवृत्त की अनुमति के पश्चात् ही अपना पदभार संभालेगा।
- (2) ऐसी सेवानिवृत्ति पर, जैसा उपनियम (1) में यथानिर्धारित है, अध्यक्ष या सदस्य:-
 - (i) उस पर लागू सेवानिवृत्ति नियमों के अनुसार गेंशन तथा ग्रेच्युटी प्राप्त करने का हकदार होगा।
 - (ii) अपने अर्जित अवकाश को जारी रखने की अनुमति नहीं होगी लेकिन सेवानिवृत्ति से पूर्व उस पर लागू नियमों के अनुसार अवकाश वेतन, यदि कोई हो, के समकक्ष नकद प्राप्ति का हकदार होगा।

9. पदावधि :- न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा तथा सदस्य उस तारीख से जिससे उनमें से कोई एक अपना पदभार संभालता है, एक वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, बशर्त ऐसा व्यक्ति न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में 65 वर्षों की आयु के पश्चात् पदधारण नहीं करेगा।

10. भर्ती पद्धति :- अध्यक्ष या सदस्यों की प्रत्येक नियुक्ति सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तरीके से की जाएगी।

11. पद और गोपनीयता की शपथ :- अध्यक्ष तथा सदस्य अपने पद ग्रहण करने से पूर्व प्रपल-1 तथा प्रपल-2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे।

12. पदत्याग तथा बर्खास्तगी :-(1) न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य उपराज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित में सूचना द्वारा पदत्याग कर सकता है।

उपबंध है कि जब तक उपराज्यपाल द्वारा उसे अपना पदभार छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है, वह ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक या उस समय जब तक कोई व्यक्ति उसके उत्तराधिकारी के रूप में भलीभांति नियुक्त होकर पदभार नहीं संभालता या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, इसमें जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य उपराज्यपाल द्वारा किए गए आदेश के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से पद से बर्खास्त नहीं किया जाएगा।

13. वेतन एवं वेतन वृद्धि :- (1) अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित भारत सरकार के संयुक्त सचिव पर लागू नियमों के अनुसार 18400-500-22400 रुपये के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा तथा वार्षिक वेतनवृद्धि भी लेगा।

उपबंध है कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति के मामले में प्रारंभिक वेतन उस अवस्था पर निश्चित किया जाएगा जो अवस्था सेवानिवृत्ति से पूर्व उस व्यक्ति द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के बराबर या तुरंत उससे अगली अवस्था ज्ञात की गई हो और अध्यक्ष रूप में कार्य करते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए 18400-500-22400 रुपये के वेतनमान में एक अग्रिम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान करके तथा परवती वेतनवृद्धि की तारीख कलेंडर माह के प्रथम दिन से निश्चित की जाएगी जिसमें 12 माह की अवधि उस तारीख से मानी जाएगी जब वह अपना पदभार संभालता है।

(2) दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण के सदस्य 10000/- रुपये प्रतिमाह का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।

14. महंगाई भत्ता तथा नगर प्रतिपूरक भत्ता :- अध्यक्ष 18400-500-22400 रुपये के वेतनमान में वेतन लेने वाले केन्द्र सरकार के ग्रुप ''ए'' अधिकारी पर लागू दरों पर अपने वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ता तथा नगर प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करेगा।

15. अवकाश :- दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण का अध्यक्ष तथा सदस्य ऐसे अवकाश के हकदार होंगे (यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त हों) जो सरकार के ग्रुप ''ए'' अधिकारियों पर लागू है।

16. अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी :- सरकार का सचिव (सहकारिता) अध्यक्ष के अवकाश को स्वीकृत करने का सक्षम प्राधिकारी होगा तथा न्यायाधिकरण के सदस्यों का अवकाश न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

17. पेंशन तथा ग्रेच्युटी : —न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति नियम 8 के उपनियम (2) के खंड (i) के अंतर्गत लागू यदि कोई हो, पेंशन तथा ग्रेच्युटी के अतिरिक्त किसी अन्य पेंशन का हकदार नहीं होगा।

18. भविष्य निधि : —-न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, अपने विकल्प पर सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने का हकदार होगा तथा अपने ऐसे विकल्प चुनने के मामले में वह सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के उपबंधों द्वारा शासित होगा।

19. याता भत्ता :---न्यायाधिकरण का अध्यक्ष दौरे के समय या स्थानांतरण के समय (न्यायाधिकरण में पदभार संभालने के लिए की गई याता या न्यायाधिकरण में अपना कार्यकाल समाप्त होने पर अपने गृह नगर जाने की याता सहित) याता भत्ता, दैनिक भत्ता व्यक्तिगत सामान के वहन तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारत सरकार के संयुक्त सचिव पर लागू समान दर पर समान वेतनमान पर अन्य समान भत्तों का हकदार होगा। दिल्ली सहकारिता न्यायाधिकरण के सदस्य सरकारी दौरे पर सरकार के ग्रुप ''ए'' अधिकारियों पर लागू यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते के हकदार होंगे ।

20. आवास :—(1) न्यायाधिकरण का अध्यक्ष सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर दिल्ली में रहने के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव रैंक के किसी अधिकारी पर लागू टाइप के अनुसार सामान्य पूल आवास से सरकारी आवास प्रयुक्त करने का हकदार होगा।

(2) जब अध्यक्ष को आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता या उपनियम (1) में उल्लिखित आवास स्वयं प्राप्त नहीं करता उस स्थिति में उसे उसके वेतन के 30 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान प्रतिमाह दिया जा सकेगा।

(3) जहां अध्यक्ष अनुमति योग्य अवधि के पश्चात् भी सरकारी आवास में बना रहता है तो वह अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क या पैनल किराया जैसी भी स्थिति हो, का भुगतान करेगा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित भारत सरकार के संयुक्त सचिव पर लागू नियमों के अनुसार बेदखली के लिए उत्तरदायी होगा।

21. वाहन सुविधा :- न्यायाधिकरण का अध्यक्ष भारत सरकार के स्टाफ कार नियमों के अनुसार ही सरकारी तथा निजी उद्देश्यों के लिए याला हेतु स्टाफ कार की सुविधा का हकदार होगा। सदस्यों को सरकार द्वारा वाहन की समय-समय पर यथा निर्धारित निश्चित राशि दी जाएगी।

22. चिकित्सा उपचार के लिए सुविधा :--न्यायाधिकरण का अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियमों में यथा उपबंधित चिकित्सा उपचार तथा अस्पताल सुविधा का हकदार होगा।

23. अवशिष्ट प्रावधान :—न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की सेवा शर्त, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है, वे भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित भारत सरकार के संयुक्त सचिव पर तत्समय लागू नियमों तथा आदेशों के द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

24. अन्य पदधारण :—न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, प्रेजीडेंट या सदस्य सरकार की पूर्व अनुमति से कोई पदधारण कर सकता है बशर्ते कि ऐसा पदधारण न्यायाधिकरण पर उसकी स्थिति से असंगत न हो ।

26. न्यायाधिकरण का मुख्यालय :—न्यायाधिकरण के मुख्यालय का स्थान तथा बैठक का समय सरकारी राजपल में पंजीयक द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

27. न्यायाधिकरण का निर्णय :— जहां न्यायाधिकरण में एक से अधिक सदस्य हों वहां बहुमत के आधार पर लिया गया निर्णय लागू होगा। जहां सदस्य समान रूप से बंटे हुए हों उस मामले में अध्यक्ष का निर्णय न्यायाधिकरण का निर्णय होगा ।

28. न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपीलों के अतिरिक्त अन्य अपील तथा परिशोधन हेतु आवेदन से संबंधित पद्धति :--(1) धारा 112 की उपधारा (2) के अधीन कोई अपील या धारा 114 की उप-धारा (6) के अधीन परिशोधन हेतु आवेदन अपीलीय या परिशोधन प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी ।

(2) परिशोधन हेतु आवेदन या अपील ज्ञापन के रूप में होगी तथा उसके साथ अपील के आदेश की मूल या प्रमाणित प्रति को (परिशोधित किए जाने के लिए) संलग्न किया जाएगा।

(3) परिशोधन हेतु प्रत्येक अपील या आवेदन में----

(क) अपीलकर्ता या आवेदक के नाम और पतों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा जैसी भी स्थिति हो प्रतिवादियों के नाम और पते भी विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(ख) यह उल्लेख किया जाएगा कि किसके आदेश के बारे में अपील की गई या परिशोधन के लिए आवेदन किया गया,

(ग) साक्ष्य के ज्ञापन सहित अपील किए गए आदेश या पुनरीक्षण किए जाने के लिए आपत्ति के आधार संक्षेप में तथा भिन्न-भिन्न शीर्षकों के अंतर्गत उल्लिखित हो,

 (घ) उस राहत का संक्षेप में उल्लेख करेगा जिसका अपीलकर्ता था आवेदक दावा करता है, तथा

 (ङ) अपील किए गए या परिशोधन हेतु आवेदन आदेश की तारीख का उल्लेख करेगा।

(4) जहां कोई अपील धारा 112 की उप-धारा (2) के अंतर्गत उक्त धारा की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट 60 दिनों की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, उसके साथ शपथ-पत्र द्वारा एक याचिका संलग्न की जाएगी जिसके द्वारा अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट करने के लिए उन तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहता है कि उसके पास 60 दिनों की कथित अवधि के अंदर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

(5) अपील या परिशोधन हेतु आवेदन की प्राप्ति पर अपीलीय या परिशोधन प्राधिकारी यथाशीघ्र उसकी जांच करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि—

 (क) अपील या आवदेन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने की अधिस्थिति है,

(ख) यह निर्धारित समय में किया गया है, तथा

 (ग) यह अधिनियम तथा इन नियमों के समस्त उपबंधों के अनुरूप है।

(6) अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी आवेदक या अपीलकर्ता को लुटियों को दूर करने के लिए (यदि कोई हो) या सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर यथावश्यक अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है ।

(7) धारा 114 की उप-धारा (6) के अंतर्गत आदेश पारित करने से पूर्व परिशोधन (सुधार) प्राधिकरण किसी अधीनस्थ अधि-कारी से ऐसी आगामी सूचना प्राप्त कर सकते हैं जो इस संबंध में पारित किसी निर्णय या बनाए किसी आदेश की ऐसी कार्यवाहियों या शुद्धता, वैधता या औचित्य की नियमित जांच करने के उद्देश्य के लिए जांच या कार्यवाही है । सुधार प्राधिकरण ऐसी जांच या कार्यवाहियों से जुड़े पक्षों को बुलाकर ऐसी सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं, जो जांच या कार्यवाहियों के अभिलेख और अधीनस्थ अधिकारी से प्राप्त सुचना की जांच करने के संदर्भ में आवश्यक है ।

(8) अपीलीय या परिशोधन (संशोधन) प्राधिकारी के समकक्ष कार्यवाहियों में कानूनी पेशेवर पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित होने के हकदार होंगे ।

(9) अपील या परिशोधन अधिकारी/प्राधिकरण आयोजित जांच के आधार पर अभिलेख जांच करने के संदर्भ में परि-शोधनं/संशोधन के लिए अपील पर या आवेदन पर ऐसा आदेश पारित करेंगे जो उचित एवं युक्तिसंगत हो ।

(10) धारा 112 की उप-धारा (2) धारा 114 की उप-धारा (6) या जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत अपीलीय या संशोधन/ परिशोधन प्राधिकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और यह अपीलकर्ता या आवेदक को व अन्य पक्षकारों को सूचित किया जाएगा जो प्राधिकरण के अभिमत से निर्णय या आदेश से प्रभावित होने वाले हैं और उस संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाएगा जिसके आदेश के विरुद्ध परिशोधन के लिए अपील या आवेदन पत्र का आदेश किया गया था।

29. समीक्षा के लिए आवेदन पत्न : —(1) धारा 115 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन पत्र संक्षेप में एक ज्ञापन के रूप में होगा तथा भिन्न-भिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विचार तथा उन महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख होगा जो यथोचित परिश्रम करने के उपरांत आवेदक की जानकारी में नहीं थे और उसके द्वारा तब प्रस्तुत नहीं किए गए थे जब आदेश किए गए थे या अभिलेख में लुटियां या गलतियां स्पष्ट प्रतीत होती थी या जिन कारणों के आधार पर समीक्षा की मांग की गई है। इसके साथ साक्ष्य ज्ञापन लगा होगा ।

(2) आवेदन के साथ उस आदेश की मूल या एक प्रमाणित प्रति संलग्न होगी जिससे आवेदन पत्र संबंधित है।

(3) पुनर्विचार के लिए तब तक कोई भी आवेदन पल स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक उसके साथ उतनी अधिक संख्या में प्रतियां संलग्न न हों जितने मूल आदेश के पक्षकार हैं।

(4) जब तक यह आवश्यक न हो तब तक न्यायाधिकरण द्वारा उस आवेदन का यथोचित पद्धति से निपटान किया जाएगा, शर्त यह है कि किसी व्यक्ति के प्रतिकूल कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का एक अवसर न दिया गया हो । 30. व्याख्या :—यदि इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उस पर उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा ।

31. छूट देने की शक्ति :---जहां उपराज्यपाल का अभिमत है कि ऐसा करना आवश्यक या समय बचाने वाला है वह लिखित रूप में अभिलेख़बद्ध कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों को इन नियमों के दिग्सी उपबंध में छूट दे सकते हैं।

32. बचाव :-इन नियमों का इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/जनजातियों निवर्तमान सैनिकों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा की छूट और अन्य रियायतों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पडे़गा ।

> दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

> > सत्य गोपाल, सचिव

फार्म-1

(नियम 11 देखें)

दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के द्वारा गोपनीयता की शपथ का फार्म

मैं, अ. व., जिसे दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण का अध्यक्ष/ सदस्य नियुक्त किया गया है एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्ट करता हूँ, ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूँ कि मैं दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का वफादारी पूर्वक और अन्तरात्मा से अपनी पूर्ण योग्यता, ज्ञान व निर्णय के अनुसार, बिना किसी भय या पक्षपात या प्यार या दुर्भावना के निर्वाह करूँगा।

फार्म-2

(नियम 11 देखें)

दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष⁄सदस्य के द्वारा गोपनीयता की शपथ का फार्म

मैं, अ. ब., जिसे सहकारी न्यायाधिकरण का अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त किया गया है एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्ट करता हूँ, ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूँ कि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसी बात जो मेरे विचारार्थ लाई जाएगी या मुझे मेरी दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में ज्ञात होगी, सिवाय उसके जैसा कि अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए आवश्यक हो, किसी को संप्रेषित नहीं करूँगा या प्रकट नहीं करूँगा।

F. No. 47/Coop./16/Policy/05/699-707.—In exercise of the powers conferred by Section 137 read with Section 114 of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules, namely:—

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Cooperative Tribunal Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the day of their publication in the Delhi Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Delhi Coperative Societies Act, 2003 (Delhi Act, 3 of 2004);
- (b) "Chairman" means the Chairman of the Tribunal;
- (c) "Form" means a form appended to these rules.
- (d) "Government" means the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the Constitution.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Constitution of Tribunal.—There shall be one Chairman and not more than two other members in the Delhi Cooperative Tribunal in which the Chairman shall be permanent.

4. Qualifications of Chairman.—A person shall not be qualified to be appointed as a Chairman of the Tribunal unless he—

- (a) is, or has been, or is qualified to be a District Judge, or has for, at least, two years, held the post of a Joint Secretary to the Government of India or any other post under the Central Government or the Government carrying a scale of pay which is not less than that of a Joint Secretary to the Government of India and has for, at least, two years functioned as a quasi-judicial authority at the appellate level; and
- (b) In the opinion of the Government, is a person of ability, integrity and standing and has adquate knowledge or experience in dealing with the problems relating to economics, law, public affaris, administration or revenue laws, etc.

5. Qualifications of the first member.— The first member shall not be appointed unless he has for, at least, five years held the post of a Deputy Secretary to the Government of India, or any other post under the Central Government or the Government carrying a scale of pay

which is not less than that of a Deputy Secretary to the Government of India and has for, at least, two years functioned as an appellate authority or has held the post of Joint Registrar or Deputy Registrar, Cooperative Societies for two years.

6. Qualifications of second member.—The Second member of the Tribunal shall be a non-official closely associated with the cooperative movement provided that at the time of his appointment as a member he shall neither be holding any office of profit under the Central Government, the Government any other local authority, any cooperative socity, the committee of a cooperative society or its paid officer, nor he shall be a member of the committee of any cooperative society other than education cooperative society or a federal socieity which, in the opinion of the Registrar, is not a business, institution or who has for not less than ten years, been an advocate.

7. Disqualification.—A Person shall be disqualified for appointment as Chairman or member of the Tribunal if he—

- (a) has been convicted and sentenced to impromment for an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude; or
- (b) is an undischarged insolvent; or
- (c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (d) has been removed or dismissed from the service of the Government or a body Corporate owned or controlled by Government; or
- (e) has in the opinion of the Government, such financial or other interest, as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his fuctions as a Chairman or as a member of the Tribunal, as the case may be; or
- (f) is medically unfit.

8. Retirement from present service on appointment as Chairmann. — (1) The chiarman and every member, who on the date of his appointment as Chairman or member, as the case may be, was in service under the Central Government or a State Government or the Government of National Capital Territory or a Union Territory he shall seek retirement from such service and shall enter upon his office as Chairman or member, as the case may be only after he is allowed to retire from such service.

(2) On such retirement as is provided for a sub-rule (1), Chairman or meber.—

- (i) Shall be entitled to receive pension and gratuity in accordance with the retirement rules applicable to him;
- (ii) Shall not be allowed to carry forward his

1621 DG/06-3

earned leave but shall be entitled to receive cash equivalent to leave Salary if any, in accordance with the rules applicable to him prior to is retirement.

9. Term of office.—Every Person appointed as Chairman of the Tribunal shall hold office for a term of three years and members for a term of one year from the date on which any one of them enters upon his office, provided that no such person shall hold office as Chairman or member of the tribunal after he has attained the age of sixty-five years.

10. Method of recruitment.—Every appointment of Chairman or members shall be made by the Government in the manner as specified by it.

11. Oath of office and secrecy.—The Chairman and members shall, before entering upon their office, make and subscribe to oaths of office and secrecy in Form I and Form II.

12. Resignation and removal. —(1) Chairman or a member of the Tribual may, by notice in writing under his hand addressed to the Lieutenant Governor, resign his office:—

Provided that unless he is permitted by the Lieutenant Governor to relinquish his office sooner, he shall continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a persons duly appointed as his successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest.

(2) The Chiarman or any member shall not be removed from his office except by an order made by the Lieutenant Governor.

13. Pay and increments.—(1) The Chairman shall receive pay in the scale of Rs. 18400-500-22400 and earn annual increments, in accordance with the rules applicable to a Joint Secretary to the Government of India belonging to the Indian Administrative Service.

Provided that the initial pay in the case of a person appointed as Chairman shall be fixed at a stage which is arrived at by ascertaing the stage equal to or immediately above the last pay drawn by that person before retirement and by allowing one advance increment in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400 for every year of functioning as Chairman and the date of subsequent increment shall be fixed as the first day of the calendar month in which a period of twelve months rekoned from the date when he entered upon his office expires;

(2) Members of the Delhi Cooperative Tribunal shall receive a consolidated honorarium of Rs. 10,000/- per month.

14. Dearness allowances and city compensatory allowance. — The chairman shall recieve dearness allowance and city compensatory allowance appropriate

to his pay at the rates admissible to a Group 'A' officer of the Central Government drawing pay in the scale of Rs. 18,4000-500-22,4000

15. Leave.—The Chairman and members of the Delhi Cooperative Tribunal shall be entitled to such leave as is admissible to Group 'A' officers of the Government if appointed on full time basis.

16. Leave sanctioning authority.—The Secetary (Cooperation) of the Government shall be the authority to sanction leave to Chairman and leave of the members of the Tribunal shall be sanctioned by the Chairman of the Tribunal.

17. Pension and gratuity.— No person appointed as Chairman of the Tribunal shall be entitled to any pension other than the pension and gratuity, if any applicable under clause (i) of sub rule (2) of rule 8.

18. Provident fund.—The Chiarman of the Tribunal shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund at his option and in case of his so opting he shall be governed by the provisions of the General Provident Fund (Centrial Services) Rules, 1960.

19. Travelling allowances.—The Chairman of the Tribunal while on tour or on transfer (including the journey under taken to join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and other similar allowances at the same scale at the same rate as are applicable to a Joint Secretary to the Government of India from the Indian Adminstrative Service. The Members of the Delhi Cooperative Tribunal shall be entitled to such traveling allowances and daily allowance on official tour as are admissible to Group "A" officers of the Government.

- 20. Accommodation .-- (1) The Chairman of the Tribunal sahll be entitled to use of an official residence from the General Pool accommodation of the Government of the type admissible to an officer of the rank of a Joint Secretary to the Government of India stationed at Delhi on the payment of licence fee at the rates determined by the Government from time to time.
 - (2) When Chairman is not provided with or does not avail himself of the accommodation referred to in sub-rule (1) he may be paid every month an allowance of an amount equal to 30 % of his pay.
 - (3) Where Chairman occupies an official residence beyond the permissible period he shall be required to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be, and liable to eviction in accordance with the rules applicable to a Joint Secretary to the Government of India belonging to the Indian Administrative Services.

21. Facility of Conveyance.—The Chairman of the Tribunal shall be entitled to a facility of staff car for journey for official and private purposes in accordance with the staff car rules of the Government of India. The members shall be given fixed amount of conveyance as may be determined by the Government from time to time.

22. Facility for medical treatment.—The Chairman and every member of the Tribunal shall be entitled to medical treatment and hospital facility as provided in the rules applicable to the employees of the Government.

23. Residuary provisions.—The conditions of service of the Chairman of the Tribunal, for which no express provision is available in these rules, shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to a Joint Secretary to the Government of India beloning to the Indian Administrative Service.

24. Holding of other office.—The Chairman, the President or the member of the tribunal may, with the previous permission of the Government hold any office provided that holding of such office, is not inconsistent with his position on the Tribunal.

25. Procedure regarding disposal of appeals by the Tribunal.—The proceedings of the Tribunal shall be governed as far practicable by the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 as amended in 1999 and 2002 (Central Act 'V' of 1908).

26. Headquarter of the Tribunal.—The Place of the Headquarters and the time of sitting of the Tribunal shall be notified by the Registrar in the Official Gazette.

27. Decision of the Tribunal.—Where the Tribunal consists of more than one member the decision of the majority shall prevail. Where the members, are equally divided, the decision of the Chairman shall be the decision of the tribunal in that case.

28. Procedure regarding appeal other than those to the Tribunal and application for revision. —

- An appeal under sub-section (2) of Section 112 or an application for revision under Sub-section (6) of Section 114 shall be either presented in person or sent by registered post to the appellate or revising authority.
- (2) The appeal or the application for revision shall be in the form of a memorandum and shall be accompanied by the original or certified copy of the order appealed from or sought to be revised.
- Every appeal or application for revision shall—
 - (a) Specify the name and address of the appellant or applicant and also the name and address of the respondents, as the case may be;

96. (344) **

STREET, PL

incept Node

1 pet

The state

19-12 - 19-24 C

TRUCT STATES IN

제 말 하는 것 같

were stu

53 3 55

Contest and Aller -

્ટ્રેટ ડ્રેટ જોવાણી નગર

they are to

- (b) state by whom the order appealed from or sought to be revised was made;
- (c) set forth concisely and under distinct heads, the grounds of objection to the order appealed from or sought to be revised together with a memorandum of evidence;
- (d) state precisely the relief which the appellant or the applicant claims; and
- (e) give the date of the order appealed from or sought to be revised.
- (4) Where an appeal under sub-section (2) of section 112 is preferred after the expiry of sixty days specified in sub-section (2) of the said section, it shall be accompanied by a petition supported by an affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the appellate authority that he had sufficient cause for not-preferring the appeal within the said period of sixty days.
- (5) On receipt of the appeal or the application for revision, the appellate or revising authority shall as soon as possible examine it and ensure that.—
 - (a) the person presenting the appeal or the application has the locus standi to do so;
 - (b) it is made within the prescribed time-limit; and
 - (c) it conforms to all the provisions of the Act and these rules.
- (6) The appellate or revising authority may call upon the appellant or the applicant for revision to remedy the defects, if any, or furnish such additional information as may be necessary, within a period of fifteen days of the receipt of the notice to do so.
- The revising authority may, before passing (7)orders under sub-section (6) of section 114, obtain from any subordinate officer such further information in regard to the enquiry or the proceedings for the purpose of verifying the regularity of such proceedings or the correctness, legality or propriety of any decision passed or order made therein. The revising authority may also call for and obtain from the parties connected with such enquiry or proceedings such information as is necessary with reference to the examination of the records of enquiry or proceedings and the information obtained from the subordinate officer.
- (8) In the proceedings before the appellate or revising authority legal practioners shall be entitled to appear to represent parties.

- (9) The appellate or revising authority shall on the basis of the enquiry conducted and with reference to the records examined pass such order on the appeal or on the application for revision as may seem just and reasonable.
- (10) Every order of the appellate or revising authority under sub-section (2) of section 112, sub-section (6) of section 114 or, as the case may be, shall be in writing and it shall be communicated to the appellant or applicant, to such other parties as in the opinion of the authority are likely to be affected by the decision or order and to the officer concerned against whose order the appeal or the application for revision was made.
- 29. Application for review.—(1) Every application under sub-section (1) of section 115 shall be in the form of a memorandum setting forth concisely and under distinct heads the views and important facts, which after the exercise of due diligence, were not then within the knowledge of the applicant or could not be produced by him when the order was made or mistakes or errors apparent on the face of the record or other reasons on the basis of which review is sought. A memorandum of evidence shall accompany it.
 - (2) The application shall be accompanied by the original or a certified copy of the order to which the application relates.
 - (3) No application for review shall be entertained unless it is accompanied by such additional number of copies, as there are parties to the original order.
- (4) The application shall, so far as it may be necessary, be disposed of by the tribunal in such manner as may, be deemed fit, provided that no order prejudicial to any person shall be passed unless such person has been given an opportunity of making representation.

30. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, the decsion of the Lieutenant Governor thereon shall be final.

31. Power to relax.—Where the Lieutenant Governor is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

32. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the scheduled castes, the Scheduled Tribes. Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders

Y

PART IV

issued by the central government from time to time in this regard.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

SATYAGOPAL, Secy. (Cooperation)

p HA

f 1. 1. 1

FORM 1

(See Rule 11)

Form of oath of office for Chairman/member Delhi Cooperative Tribunal

I, A.B., having been appointed as Chairman/member, Delhi Cooperative Tribunal, do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chairman/Member, Delhi Cooperative Tribunal, to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill-will.

FORM 2

(See Rule 11)

Form of oath of Secrecy for Chairman/member Delhi Cooperative Tribunal

I, A.B., having been appointed as Chairman/member, Delhi Cooperative Tribunal, do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairman/member Delhi Cooperative Tribunal except as may be required for the due discharge of my duties as such Chairman/member.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.